भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 951
18 सितबंर, 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
आईसीयू बेड और वेंटिलेटर

951. श्री डी॰एन॰वी॰ सथिलकुमार एस॰
श्री के॰ नवासखनीः
श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धनोरकरः
डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री राकेश सिंहः
डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
श्री चंद्र शेखर साहूः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री बी॰ मणिक्कम टैगोरः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध और प्रचालनशील आईसीयू बिस्तरों और वेंटिलेटरों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं;
(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कितनी धनराशि जारी/सहायता प्रदान की गई है और इस प्रकार की सहायता के संवितरण के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;
(घ) कितने वेंटिलेटरों का विनिर्माण किया जा रहा है, इनके विनिर्माण का कार्य किन एजेंसियों को सौंपा गया है और इससे किन राज्यों को सर्वाधिक लाभ होने की संभावना है;
(ङ) क्या सरकार ने उत्पादित वेंटिलेटरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा देश में कोविड-19 हेतु टीका विकसित करने और कोविड-19 के मामलों में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए निजी अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के शोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) विभिन्न सरकार (केंद्र एवं राज्य) संचालित विशिष्ट कोविड अस्पतालों में आईसीयू बिस्तरों और वेंटिलेटर्स की राज्यवार संख्या अनुलग्नक- I पर है

(ख) महामारी के प्रारंभ म वेंटिलेटस का भारत का घरेलू विनिमाण अपयाप्त था। फरवरी 2020 म गठित शक्ति प्राप्त समूह- 3 को वेंटिलेटस सहित अनिवाय चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने
का अधिदेश था। मेक इन इंडिया पहल के एक भाग के रूप म सरकारी और निजी क्षेत्र के विनिमाताओं का पता लगाया गया और उन्ह अपेक्षित विनिर्दिष्टियां प्रदान की गईं। उन्ह जांच करने, कमियों को दूर करने के लिए डीजीएचएस ने उनका तकनीकी मागदशन भी किया। उत्पादों और उनकी संभावनाओं के लिए बाजार सुनिश्चित करने के लिए उन्ह आदेश भी दिए गए।

(ग) 60,948 वेंटिलेटस खरीदने के लिए कद्र सरकार आदेश जारी कर चुकी है। 15 सितबर, 2020 तक राज्यों को 32,109 वेंटिलेटस आवंटित किए गए ह, जिनम से 30,663 भेजे जा चुके ह। राज्यों को किया गया वितरण विकसित हो रहे परिदृश्य और राज्य की आवश्यकता पर आधारित था।

(घ) कुल 58850 " मेक इन इंडिया" वेंटिलेटस का विनिमाण किया जा रहा है। इन वेंटिलेटस के विनिमाण का काय प्राप्त एजसियां (I) ए एम टी जेड (आंध्र प्रदेश) (ii) एजीवीए हेल्थ केयर (उत्तर प्रदेश) (III) ज्योति सीएनसी (ऑटोमेशन लि. (गुजरात) (IV) भारत इलेक्ट्रिकल्स लि. (कनाटक) इन वेंटिलेटस राज्यवार आवंटन अनलग्नक – II पर है।

(ङ) इन कोविड वेंटिलेटस के लिए तकनीकी विनिर्दिष्टियां स्वास्थ्य सेवाए महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मत्रालय की अध्यक्षता वाली क्षेत्र का ज्ञान रखने वाली तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित की गई ह। वेंटिलेटस का उनके काय मापदंडों हेतु परीक्षण किया गया। उत्पादन हेतु अनुमोदन निर्धारित विनिर्दिष्टियों को पूरा करने पर आधारित था।

(च) इस क्षेत्र म, वैश्विक रूप म लगभग 45 कंडिडेट्स टीके निदान पूव मूल्यांकन म ह और वतमान म 35 टीके नैदानिक परीक्षण म ह। भारत म मुख्य फोकस कोविड- 19 टीके के विकास को सुगम बनाने पर रहा है। 30 से अधिक टीके कैंडिडेट्स को सहायता दी गई है, जो विकास के विभिन्न चरणों म ह। 3 कैंडिडेट्स चरण I/ II/ III परीक्षणों के अंतिम चरण म है और 4 निदान- पूव विकास के अंतिम चरण म ह।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है। निजी अस्पतालों को कोविड मामलों के उपचार म लगाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। कद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निजी अस्पतालों को परस्पर सहमत व्यवस्थाओं के माध्यम से सेवा म लगाने के लिए लिखा है। दरों को पीएम- जेएवाई तथा सीजीएचएस पैकेजों के अनुसार रखने की सलाह दी गई है। अधिकांश राज्यों ने इस बार आशय के अनुदेश जारी किए ह।

अनुलग्नक I

विभिन्न सरकार (केंद्र/ राज्य) संचालित विशिष्ट कोविड अस्पतालों* में आईसीयू बिस्तरों और वेंटिलेटर्स का राज्य- वार विवरण (16 सितंबर, 2020 तक)

क्रम सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आईसीयू बिस्तर	वेंटिलेटर्स
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	18	18
2	आंध्र प्रदेश	1367	484
3	अरुणाचल प्रदेश	43	11
4	असम	329	278
5	बिहार	218	262
6	चंडीगढ़	60	30
7	छत्तीसगढ़	338	270
8	दादरा और नगर हवेली	46	46
9	दमन और दीव	21	11
10	दिल्ली	1075	956
11	गोवा	35	117
12	गुजरात	1454	1840
13	हरियाणा	214	165
14	हिमाचल प्रदेश	69	72
15	जम्मू और कश्मीर	284	236
16	झारखंड	103	74
17	कर्नाटक	1238	853
18	केरल	747	357
19	लद्दाख	31	25
20	लक्षद्वीप	3	2
21	मध्य प्रदेश	721	308
22	महाराष्ट्र	4039	2848
23	मणिपुर	20	24
24	मेघालय	69	71
25	मिजोरम	40	58
26	नगालैंड	50	25
27	ओडिशा	222	140
28	पुडुचेरी	57	50
29	पंजाब	348	111
30	राजस्थान Rajasthan	939	602
31	सिक्किम	20	57
32	तमिलनाडु	3595	2134
33	तेलंगाना	815	303
34	त्रिपुरा	73	19
35	उत्तर प्रदेश	2110	1512
36	उत्तराखंड	376	423
37	पश्चिम बंगाल	406	340

* स्रोत: एस 3 पोर्टल पर जिलों द्वारा यथा संसूचित

अनुलग्नक II

आपूर्ति हेतु आवंटित वेंटिलेटर्स का राज्य- वार विवरण (15 सितबंर, 2020 तक)

क्रम सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / केंद्र सरकारी संस्थान	आवंटित वेंटिलेटर
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	34
2	आंध्र प्रदेश	3960
3	अरुणाचल प्रदेश	63
4	असम	1000
5	बिहार	500
6	चंडीगढ़	45
7	छत्तीसगढ़	230
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	20
9	दिल्ली	575
10	गोवा	200
1 1	गुजरात	2500
12	हरियाणा	423
13	हिमाचल प्रदेश	500
14	जम्मू और कश्मीर	908
15	झारखंड	460
16	कनाटक	2025
17	केरल	480
18	लद्दाख	130
19	मध्य प्रदेश	679
20	महाराष्ट्र	4434
21	मणिपुर	97
22	मेघालय	54
23	मिजोरम	115
24	नगालड	120
25	ओडिशा	567
26	पुडुचेरी	107
27	पंजाब	510
28	राजस्थान	1700
29	सिक्किम	10
30	तमिलनाडु	1450
31	तेलंगाना	1400
32	त्रिपुरा	92
33	उत्तराखंड	700
34	उत्तर प्रदेश	2000
35	पश्चिम बंगाल	1120
36	लक्षद्वीप	7
37	केंद्रीय संस्थान	2894
कुल		**32,109**